

कार्यालय, जिला न्यायालय, देहरादून।

संख्या 93 / 2025

दिनांक 18 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग-1 के पत्र संख्या: 13 नो0ए0/XXXVI -A-1/2025-87 नो0ए0 /2002 दिनांकित 12 जून, 2025 के द्वारा तहसील मसूरी, जिला देहरादून में नोटरी के एक पद पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 03 के अनुसार अर्हता रखते हो, से आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

अतः नोटरी के उपरोक्त 01 पद हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण जो नियमानुसार योग्यता रखते हों, से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम-3 के अनुसार अर्हता रखते हों। आवेदन करने हेतु नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नवत हैं:-

- (2) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-I के अनुसार और उक्त नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-II के अनुसार अभ्यावेदन किया जायेगा,
- (3) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा -
 - (क) मजिस्ट्रेट
 - (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्धक,
 - (ग) व्यापारी, और
 - (घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

जो आवेदन अपूर्ण एवं उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होंगे, उनपर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2025 सांय 4.00 बजे तक जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ह0/-
(प्रेम सिंह खिमाल)
जिला न्यायाधीश,
देहरादून।

स0 1066 /2025 दिनांक 18 जून, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित:

1. न्यायालय सिविल जज (जे0डि0), मसूरी,
2. उपजिलाधिकारी मसूरी
3. सचिव, जिला बार एसोसिएशन, देहरादून
4. सिस्टम ऑफिसर वारंटे वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।

मुख्य प्रशा0 अधिकारी
जिला जजशिप देहरादून।